संख्या-42/2016/1401 ई-2/तेरह-2016-57/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 30 जून,2016

विषय:- मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 (बभनान आसवनी), गोण्डा की अधिष्ठापित क्षमता 60 किली0 प्रतिदिन से बढाकर 100 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-33/दो-प्रा0डी0-66, दिनांक 09 जून,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09 जून,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 (बभनान आसवनी), गोण्डा की अधिष्ठापित क्षमता 60 किली0 प्रतिदिन से बढाकर 100 किली0 प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल अर्थात् वर्ष में 330 कार्यदिवस के आधार पर 330 लाख लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल वार्षिक किये जाने तथा बाजार की मांग के अनुसार उक्त अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई0एन0ए0, अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस0डी0एस0 का बिक्रय किये जाने की एतद्द्वारा इस शर्त/प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा बढी हुई क्षमता के अनुरूप आसवनी का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से एन्वायरमेन्ट क्लीयरेन्स तथा उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र यथासमय प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in